

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 538 / 14

संस्थापन दिनांक:-22 / 08 / 14

फाईलिंग नं. 233504005022014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

पूरनलाल पिता साहबूलाल गोंड,
उम्र 40 वर्ष, निवासी बघवाड़,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.08.2014 को समय 03:00 बजे ग्राम बघवाड़ प्रार्थिया मीरा की बहन के घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी मीरा के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.08.2014 को 3 बजे अपनी बहन हीरा के घर गयी थी। तभी वहां उसका जीजा अभियुक्त पूरनलाल शराब के नशे में आया और उसे मां बहन की गालियां देने लगा। उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से धार तरफ से मारा जिससे उसे दाहिने तरफ कान के उपर सिर पर चोट आयी। जब वह चक्कर खाकर गिरी तो उसके बांये पैर के पंजे पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अस्पताल चौकी बैतूल में अपराध क्र. 0126 / 14 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध असल अपराध क्र. 654 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.08.2014 को समय 03:00 बजे ग्राम बघवाड़ प्रार्थिया मीरा की बहन के घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी मीरा के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 मीरा (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना लगभग 2-3 साल पहले की उसके बहन के घर की है। घटना के समय वह अपनी बहन के घर आयी थी तो उसके जीजा अभियुक्त पूरनलाल ने घरेलू बात पर से उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। जब उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया था जिससे उसे कान, पीछे सिर पर दरवाजे की चिटकनी लग गयी थी जिससे कटकर खून निकलने लगा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री-2) का मौका नक्शा तैयार किया था। अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त पूरनलाल ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त ने उसे धक्का दिया था जिससे वह पीछे की तरफ गिर गयी थी और गिरने से उसे चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से नहीं मारा था तथा अभियुक्त और उसके बीच में विवाद हुआ था।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ विवाद किया जाना तथा विवाद में धक्का लगने से गिरने से फरियादी को चोट

आना प्रमाणित होता है परंतु अभियुक्त द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मीरा के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त पूरनलाल को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

9 प्रकरण में जप्त सुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)